REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264299 CG-DL-E-02072025-264299

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] No. 388]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 431(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं:

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: commentsmorth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 115 में,-

(1) उप-नियम (18) के खंड (i) में, -

(i) सारणी 2 में, -

(क) किनारे के ओर के शीर्ष (मार्जिनल हैर्डिंग) में, "सकल भार से अधिक नहीं" शब्दों के पश्चात्, अंक '3000' के स्थान पर अंक '3500' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (7) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, शब्द 'एचसीएनजी' के अधीन, कोष्ठक, अंक और शब्द '(हाइड्रोजन+सीएन)' के स्थान पर कोष्ठक, अंक और शब्द '(हाइड्रोजन+सीएनजी)' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) स्तंभ (8) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, शब्द 'गैसोलीन' के अधीन, कोष्ठक, अंक और शब्द '[(ई10)/(ई)]' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '[(ई10)/(ई20)]' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (11) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या अधिक' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) स्तंभ (15) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(बी10)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(बी100)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) सारणी 2 के अधीन टिप्पणों में, -

(क) मद 4 में, उप-मद (घ) में, शब्द और अंक 'गैसोलीन ईंधन ई10' के पश्चात्, कोष्ठक और शब्द '(विनिर्माता द्वारा निर्दिष्टानुसार)' का विलोपन किया जाएगा;

(ख) मद 17 में, उप-मद (i) में, शब्द 'संपीड़न (कंप्रेशन)' के स्थान पर, शब्द 'तुलना(कंपैरिजन)' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (18) में, खंड (ii) में, सारणी 2 में,—

(i) स्तंभ (8) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या अधिक' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी 2 के अधीन टिप्पणों में,—

(क) मद 11 में, उप-मद (i) में, सारणी 1 में, स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष में, शब्द और ऊपर की ओर लिखा हुआ (सुपरस्क्रिप्ट) 'एनएमएचसी1' के स्थान पर, शब्द और सुपरस्क्रिप्ट 'एनएमएचसी2' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद 11 में, उप-मद (i) में, सारणी 1 में, स्तंभ (5) में, स्तंभ शीर्ष में, शब्द, नीचे की ओर लिखा हुआ (उपस्क्रिप्ट) और सुपरस्क्रिप्ट 'सीएच41' के स्थान पर, शब्द, उपस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट 'सीएच42' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) मद 13 में, सारणी में,—

(i) 'परीक्षण चक्र' नामक पंक्ति 1 के सामने, स्तंभ 2, 3, 4 और 5 के अधीन प्रविष्टि में, शब्द और अंक 'Mg/kWh' के स्थान पर, शब्द और अंक 'mg/kWh' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) 'डब्ल्यूएनटीई' नामक पंक्ति 2 के सामने, स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टि में, अंक '60' के स्थान पर, अंक '600' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (19) में, खंड (i) में, सारणी 2 में, स्तंभ (11) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या अधिक' प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (4) उप-नियम (20) में, सारणी 2 में, स्तंभ (10) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या अधिक' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(5) उप-नियम (22) में, सारणी 2 में, स्तंभ (11) के अधीन, स्तंभ शीर्ष में, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85)' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द '(ई85) या अधिक' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/06/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि........(अ), दिनांक द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 431(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

DRAFT RULES:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115,-

(1) in sub-rule (18), in clause (i), —

(i) in TABLE 2, —

(a) in the marginal heading, after the words "gross weight not exceeding", for the figure '3000', the figure '3500' shall be substituted;

(b) under column (7), in the column heading, under the word 'HCNG', for the bracket, figure and word '(Hydrogen+CN)', the bracket, figure and word '(Hydrogen+CNG)' shall be substituted;

(c) under column (8), in the column heading, under the word 'Gasoline', for the bracket, figure and word '[(E10)/(E20)]', the bracket, figure and word '[(E10)/(E20)]' shall be substituted;

(d) under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or more' shall be substituted;

(e) under column (15), in the column heading, for the bracket, figure and word '(B10)', the bracket, figure and word '(B100)' shall be substituted.

(ii) in the Notes under TABLE 2, —

(a) in item 4, in sub-item (d), after the words and figures 'Gasoline fuels E10', the bracket and words '(as specified by the manufacturer)', shall be omitted;

(b) in item 17, in sub-item (i), for the word 'Compression', the word 'Comparison' shall be substituted.

(2) in sub-rule (18), in clause (ii), in TABLE 2,—

(i) under column (8), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or more' shall be substituted;

(ii) in the Notes under TABLE 2,—

(a) in item 11, in sub-item (i), in table 1, in column (4), in the column heading, for the word and superscript 'NMHC1', the word and superscript 'NMHC2' shall be substituted;

(b) in item 11, in sub-item (i), in table 1, in column (5), in the column heading, for the word, subscript and superscript 'CH41', the word, subscript and superscript 'CH42' shall be substituted;

(c) in item 13, in the table,—

(i) against the row 1 named 'Test cycle', in the entry under columns 2, 3, 4 and 5, for the word and figure 'Mg/kWh', the word and figure 'mg/kWh' shall be substituted;

(ii) against the row 2 named 'WNTE', the entry under column 4, for the figure '60', the figure '600' shall be substituted.

(3) in sub-rule (19), in clause (i), in the TABLE 2, under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or more' shall be substituted.

(4) in sub-rule (20), in TABLE 2, under column (10), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or more' shall be substituted.

(5) in sub-rule (22), in TABLE 2, under column (11), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or more' shall be substituted.

[F. No. RT-11028/06/2025-MVL] MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R.(E) dated the.....